लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1456

29 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

उत्तर प्रदेश में संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना का कार्यान्वयन

1456. सुश्री इकरा चौधरी:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस) के अंतर्गत वर्ष 2021 से अब तक पूंजी निवेश राजसहायता का लाभ उठाने वाली वस्त्र एवं परिधान विनिर्माण इकाइयों की खंडवार संख्या कितनी है;

(ख) इसी अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में पात्र इकाइयों को जिलेवार वितरित की गई कुल राजसहायता राशि और स्वीकृत आवेदनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) संयुक्त निरीक्षण दल (जेआईटी) द्वारा सत्यापन के बाद यूआईडी तैयार होने और राजसहायता जारी होने में लगने वाला औसत समय कितना है; और

(घ) उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने मामले हैं जहाँ मशीन पहचान कोड (एमआईसी) या बेंचमार्किंग मानदंडों का अनुपालन न करने के कारण इकाइयों को एटीयूएफएस लाभ से वंचित किया गया?

उत्तर

वस्त्र मंत्री

(श्री गिरिराज सिंह)

(क): उत्तर प्रदेश में संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस) के अंतर्गत वर्ष 2021 से अब तक 148 स्वीकृत मामलों में 50.84 करोड़ रुपये की पूंजी निवेश सब्सिडी जारी की चुकी है। एटीयूएफएस के अंतर्गत वर्ष 2021 से अब तक उत्तर प्रदेश में जारी की गई खंडवार सब्सिडी का विवरण नीचे दिया गया है: -

क्र.सं.	क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई सब्सिडी
1	गारमेंटिंग	26	5.48 करोड रुपए
2	गतिविधियां	55	23.34 करोड रुपए
3	प्रसंस्करण	18	3.28 करोड रुपए
4	तकनीकी वस्त्र	22	15.40 करोड रुपए
5	वीविंग	27	3.35 करोड रुपए
	कुल	**148**	**50.84** करोड रुपए

(ख): उत्तर प्रदेश में 2021 के बाद स्वीकृत आवेदनों और वितरित सब्सिडी की राशि का जिलावार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(ग): एटीयूएफएस दिशानिर्देशों के अनुसार, यूआईडी आवेदन के 90 दिनों के भीतर यूआईडी स्वतः जनरेट हो जाती है, जो ऋण देने वाली एजेंसी द्वारा सत्यापन पर निर्भर है। इसी प्रकार, जेआईटी रिपोर्ट की जाँच और सब्सिडी जारी करने का कार्य जेआईटी सत्यापन के बाद पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर पूरा किया जाना होता है। हालाँकि, प्रसंस्करण समय विभिन्न कारकों के आधार पर भिन्न हो सकता है, जैसे कि इकाई द्वारा आईटीयूएफएस पोर्टल पर जानकारी प्रस्तुत करना, मशीनरी निर्माताओं द्वारा सभी अपेक्षित दस्तावेज़ अपलोड करना और आवश्यक विवरण प्रस्तुत करना तथा आवेदकों के साथ-साथ ऋण देने वाली एजेंसियों द्वारा सभी प्रासंगिक जानकारी प्रस्तुत करना।

(घ): उत्तर प्रदेश राज्य में, मशीन पहचान कोड (एमआईसी) या बेंचमार्किंग मानदंडों का अनुपालन न करने के कारण एटीयूएफएस के तहत कुल 5 मामलों में लाभ से इनकार किया गया।

अनुलग्नक

उत्तर प्रदेश राज्य में वर्ष 2021 के बाद स्वीकृत आवेदनों और वितरित सब्सिडी राशि का जिलावार विवरण

क्र.सं.	जिला	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई सब्सिडी (करोड़ रुपए में)
1	आगरा	4	0.37
2	बागपत	1	0.04
3	बरेली	2	0.82
4	बिजनौर	1	0.10
5	बुलन्दशहर	2	1.16
6	चंदौली	14	7.69
7	फ़तेहपुर	1	0.42
8	गौतम बुद्ध नगर	52	16.59
9	गाजियाबाद	14	3.98
10	गोरखपुर	5	8.10
11	ज्योतिबा फूले नगर	1	0.15
12	कानपुर देहात	6	2.78
13	कानपुर (नगर)	12	1.12
14	लखनऊ	2	0.35
15	मथुरा	6	2.81
16	मेरठ	15	2.19
17	शाहजहांपुर	1	0.70
18	उन्नाव	2	0.53
19	वाराणसी	7	0.94
	कुल	**148**	**50.84**

***